रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1585] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 8, 2014/श्रावण 17, 1936
No.1585] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 8, 2014/SHRAVANA 17, 1936

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2014

सं. 58/2014-सीमाशुल्क (गै.टे.)

का.आ. 2015(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उप-धारा (1) और धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड मैसर्स किरन ग्लोबल चेम लिमिटेड, न्यू सं : 42, न्यू अवाडी रोड, किलपाक, चेन्नई एवं अन्य को अपर निदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, अहमदाबाद जोनल यूनिट, अहमदाबाद द्वारा फा.सं. डीआरआई/एजेडयू/आईएनवी-15/2013 दिनांक 23 जनवरी, 2014 के तहत जारी किए गए कारण बताओ नोटिस से संबंधित मामलों में न्याय निर्णयन के लिए

(i) अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त सीमा-शुल्क, मुंद्रा पोर्ट एवं विशेष आर्थिक जोन कस्टम हाऊस, पोर्ट यूजर बिल्डिंग, मुंद्रा;

(ii) अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त सीमा-शुल्क, कस्टम हाऊस, निकट आल इंडिया रेडियो नवरंगपुरा, अहमदाबाद- 380009;

को दी गई शक्तियों का प्रयोग करने और उनको सौंपे गये कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, एतद्वारा, अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त सीमा-शुल्क, मुंद्रा पोर्ट एवं विशेष आर्थिक जोन कस्टम हाऊस, पोर्ट यूजर बिल्डिंग, मुंद्रा को एक न्याय निर्णयन प्राधिकारी के रूप में काम करने के लिए नियुक्त करता है।

[फा. सं. 437/22/2014-सीमा-शुल्क IV]

आर.पी.सिंह, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th August, 2014

No. 58/2014-Customs (N.T.)

S.O. 2015(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 and sub-section (1) of Section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Board of Excise and Customs hereby appoints the Additional Commissioner or Joint Commissioner of Customs, Mundra Port and Special Economic Zone, Custom House, Port User Building, Mundra to act as a common adjudicating authority to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on—

(i) the Additional Commissioner of Joint Commissioner of Customs, Mundra Port and Special Economic Zone Custom House, Port User Building, Mundra;

(ii) the Additional Commissioner or Joint Commissioner of Customs, Custom House, Near All India Radio Navrangpura, Ahmedabad-380009;

for the purpose of adjudicating the matters relating to show cause notice pertaining to M/s Kiran Global Chem Limited, New No: 42, New Avadi Road, Kilpauk, Chennai and others *vide* show cause notice F.No. DRI/AZU/ INV-15/2013 dated the 23rd January, 2014 by the Additional Director, Directorate of Revenue Intelligence, Ahmadabad Zonal Unit, Ahmedabad-380007.

[F. No. 437/22/2014-Cus. IV]

R. P. SINGH, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2014

सं. 59/2014-सीमा-शुल्क (गै.टे.)

का.आ. 2016(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उप-धारा (1) और धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड मैसर्स ठाकुर इम्पेक्स, ब्लॉक, 2473 एवं 2474, कोहिनूर टेक्सटाइल मार्केट, रिंग रोड, सूरत-395002 एवं अन्य को अपर निदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई जोनल यूनिट, मुंबई द्वारा फा.सं. डीआरआई/एमजेडयू/एफ/12/2010, दिनांक 06 मार्च, 2014 के तहत जारी किए गए कारण बताओ नोटिस से संबंधित मामलों में न्याय निर्णयन के लिए

(i) अपर आयुक्त सीमा-शुल्क (निर्यात), सीमा-शुल्क आयुक्त का कार्यालय (निर्यात), जवाहरलाल नेहरू कस्टम्स हाऊस, न्हावा शेवा, रायगढ़ महाराष्ट्र;

(ii) अपर आयुक्त, सीमा-शुल्क, सीमा-शुल्क आयुक्त का कार्यालय (निर्यात), कस्टम हाऊस, 60 राजाजी सलाई, चेन्नई;

(iii) अपर आयुक्त सीमा-शुल्क, कस्टम हाऊस, निकट बालाजी मंदिर, काण्डला; और

(iv) अपर आयुक्त सीमा-शुल्क, प्रभारी इन्लैण्ड कंटेनर डिपो, खोडियार (एतश्मिन पूर्व इन्लैण्ड कंटेनर डिपो, साबरमती), कस्टम हाऊस, आल इंडिया रेडियो, नवरंगपुरा, अहमदाबाद- 380009,

को दी गई शक्तियों का प्रयोग करने और उनको सौंपे गये कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, एतद्वारा, अपर आयुक्त सीमा-शुल्क (निर्यात), जवाहरलाल नेहरू कस्टम्स हाऊस, न्हावा शेवा, रायगढ़ महाराष्ट्र को एक न्याय निर्णयन प्राधिकारी के रूप में काम करने के लिए नियुक्त करता है।

[फा. सं. 437/39/2014-सीमा-शुल्क IV]

आर. पी. सिंह, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th August, 2014

No. 59/2014-Customs (N.T.)

S.O. 2016(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 and sub-section (1) of Section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Additional Commissioner of Customs (Export), Jawaharlal Nehru Customs House, Nhava Sheva, Raigad Maharashtra to act as a Common Adjudicating Authority to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on-

(i) the Additional Commissioner of Customs (Exports), Office of the Commissioner of Customs (Export), Jawaharlal Nehru Customs House, Nhava Sheva, Raigad Maharashtra;

(ii) the Additional Commissioner of Customs, Office of the Commissioner of Customs (Export), Custom House, 60, Rajaji Salai, Chennai;

(iii) the Additional Commissioner of Customs, Custom House, Near Balaji Temple, Kandla ; and

(iv) the Additional Commissioner of Customs, incharge Inland Container Depot, Khodiyar (earlier Inland Container Depot, Sabarmati), Custom House, Near All India Radio, Navrangpura, Ahmedabad-380009,

for the purpose of adjudicating the matters relating to show cause notice pertaining to M/s. Thakur Impex, Block, 2473 & 2474, Kohinoor Textile Market, Ring Road, Surat-395002 and others issued *vide* F. No. DRI/ MZU/F/12/2010, dated the 6th March, 2014 by the Additional Director, Directorate of Revenue Intelligence, Mumbai Zonal Unit, Mumbai.

[F. No. 437/39/2014-Cus. IV]

R. P. SINGH, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2014

सं. 60/2014-सीमाशुल्क (गै.टे.)

का.आ. 2017(अ).— सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उप-धारा (1) और धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड मैसर्स ओम टेक्स, 47 मधु नगर सोसाइटी, सूरत अवस्थित, को अपर निदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, जोनल यूनिट, अहमदाबाद-380007 द्वारा फा.सं. डीआरआई/ एसआरयू/ आईएनवी-14/2012, दिनांक 21 मार्च, 2014 के तहत जारी किए गए कारण बताओ नोटिस से संबंधित मामलों में न्याय निर्णयन के लिए

(i) संयुक्त आयुक्त या अपर आयुक्त सीमा-शुल्क, कस्टम्स हाऊस, निकट आल इंडिया रेडियो नवरंगपुरा, अहमदाबाद;

(ii) संयुक्त आयुक्त या अपर आयुक्त सीमाशुल्क, (आयात), जवाहरलाल नेहरू कस्टम्स हाऊस, न्हावा शोवा, पोस्ट-उड़ान, जिला- रायगढ़, महाराष्ट्र;

को दी गई शक्तियों का प्रयोग करने और उनको सौंपे गये कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, एतद्वारा, संयुक्त आयुक्त या अपर आयुक्त सीमाशुल्क, कस्टम्स हाऊस, निकट आल इंडिया रेडियो नवरंगपुरा, अहमदाबाद को एक न्याय निर्णयन प्राधिकारी के रूप में काम करने के लिए नियुक्त करता है।

[फा. सं. 437/46/2014-सीमा-शुल्क IV]

आर. पी. सिंह, निदेशक (सीमा-शुल्क)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th August, 2014

No. 60/2014-Customs (N.T.)

S.O. 2017(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 4 and Sub-section (1) of Section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Joint Commissioner or Additional Commissioner of Customs, Custom House, Near All India Radio, Navrangpura, Ahmedabad to act as a common adjudicating authority to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on-

(i) the Joint Commissioner or Additional Commissioner of Customs , Custom House, Near All India Radio Navrangpura, Ahmedabad;

(ii) the Joint Commissioner or Additional Commissioner of Customs (Imports), Jawaharlal Nehru Custom House, Nhava Sheva, Post- Uran, Dist: Raigad, Maharashtra,

for the purpose of adjudicating the matters relating to show cause notice pertaining to M/s Om Tex, situated at 47, Madhu Nagar Society, Surat, issued *vide* F.No. DRI/SRU/INV-14/2012 dated the 21st March, 2014 by the Additional Director, Directorate of Revenue Intelligence, Ahmedabad Zonal Unit, Ahmedabad-380007.

[F. No. 437/46/2014-Cus IV]

R. P. SINGH, Director (Customs)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2014

सं. 61/2014-सीमाशुल्क (गै.टे.)

का.आ. 2018(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उप-धारा (1) और धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड मैसर्स लेमन जीओसी, 135ए, भू-तल, मित्रा हिल्स, निकट ओल्डेज होम, निजामपेट, हैदराबाद एवं अन्य को अपर निदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, जोनल यूनिट, हैदराबाद द्वारा फा. सं. VIII/26/29/2013- डीआरआई-एचआरयू (ए) दिनांक 7 अप्रैल, 2014 के तहत जारी किए गए कारण बताओ नोटिस से संबंधित मामलों में न्याय निर्णयन के लिए

(i) अपर आयुक्त सीमाशुल्क हैदराबाद-II आयुक्तालय, 7वां तल, केन्द्रीय शुल्क भवन, 7वां तल बशीरबाग, हैदराबाद; और

(ii) अपर आयुक्त सीमा शुल्क (आयात), कस्टम हाऊस, 60. राजाजी सलाई, चेन्नई- 600001,

को दी गई शक्तियों का प्रयोग करने और उनको सौंपे गये कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, एतद्वारा, अपर आयुक्त सीमाशुल्क हैदराबाद-II आयुक्तालय, 7वां तल, केन्द्रीय शुल्क भवन, बशीरबाग, हैदराबाद को एक न्याय निर्णयन प्राधिकारी के रूप में काम करने के लिए नियुक्त करता है।

[फा. सं. 437/56/2014-सीमा-शुल्क IV]

आर. पी. सिंह, निदेशक (सीमा-शुल्क)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th August, 2014

No. 61/2014-Customs (N.T.)

S.O. 2018(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 4 and Sub-section (1) of Section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Additional Commissioner of Customs, Hyderabad-II Commissionerate, 7th Floor, Kendriya Shulk Bhavan, Basheerbagh, Hyderabad to act as a Common Adjudicating Authority to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on-

(i) the Additional Commissioner of Customs, Hyderabad-II Commissionerate, 7th Floor, Kendriya Shulk Bhavan, Basheerbagh, Hyderabad; and

(ii) the Additional Commissioner of Customs (Import), Custom House, 60, Rajaji Salai, Chennai-600001,

for the purpose of adjudicating the matters relating to show cause notice pertaining to M/s Lemon GOC, 135A, Ground Floor, Mitra Hills, Near Oldage Home, Nizampet, Hyderabad and others issued *vide* F. No. VIII/26/29/2013-DRI-HRU(A) dated the 7th April, 2014 by the Additional Director, Directorate of Revenue Intelligence, Regional Unit, Hyderabad.

[F. No. 437/56/2014-Cus IV]

R. P. SINGH, Director (Customs)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2014

सं. 62/2014-सीमाशुल्क (गै.टे.)

का.आ. 2019(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उप-धारा (1) और धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड मैसर्स आईसीओएमएम टेली लि., आईसीओएमएम हाऊस, प्लाट नं. 31, फेज-I, कमलापुरी कालोनी, श्रीनगर कालोनी, बंजारा हिल्स, हैदराबाद-500073 को अपर निदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, हैदराबाद रीजनल यूनिट, हैदराबाद द्वारा फा.सं. VIII/26/23/2011- (डीईपीबी)-डीआरआई-एचआरयू दिनांक 06 फरवरी, 2014 के तहत जारी किए गए कारण बताओ नोटिस से संबंधित मामलों में न्याय निर्णयन के लिए

(i) अपर आयुक्त सीमाशुल्क, एयर कार्गो काम्प्लेक्स, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, समसाबाद, हैदराबाद;

(ii) अपर आयुक्त सीमाशुल्क (आयात), चेन्नई समुद्री पत्तन, कस्टम हाऊस, 60, राजाजी सलाई, चेन्नई- 600001;

(iii) अपर आयुक्त सीमाशुल्क, एचर कार्गो, सहार, मुंबई,

को दी गई शक्तियों का प्रयोग करने और उनको सौंपे गये कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, एतद्वारा, अपर आयुक्त सीमाशुल्क, एयर कार्गो काम्प्लेक्स, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, समसाबाद, हैदराबाद को एक न्याय निर्णयन प्राधिकारी के रूप में काम करने के लिए नियुक्त करता है।

[फा. सं. 437/57/2014-सीमा-शुल्क IV]

आर. पी. सिंह, निदेशक (सीमा-शुल्क)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th August, 2014

No. 62/2014-Customs (N.T.)

S.O. 2019(E).— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 4 and Sub-section (1) of Section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Additional Commissioner of Customs, Air Cargo Complex, Rajiv Gandhi International Airport, Shamshabad, Hyderabad to act as a Common Adjudicating Authority to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on-

(i) the Additional Commissioner of Customs, Air Cargo Complex, Rajiv Gandhi International Airport, Shamshabad, Hyderabad;

(ii) the Additional Commissioner of Customs (Import), Chennai Sea Port, Custom House, 60, Rajaji Salai, Chennai-600001;

(iii) the Additional Commissioner of Customs, Air Cargo, Sahar, Mumbai,

for the purpose of adjudicating the matters relating to show cause notice pertaining to M/s ICOMM Tele Ltd., ICOMM House, Plot No. 31, Phase-I, Kamalapuri Colony, Srinagar Colony, Banjara Hills, Hyderabad-500073 issued *vide* F. No. VIII/26/23/2011-(DEPB)-DRI-HRU, dated the 06th February, 2014 by the Additional Director, Directorate of Revenue Intelligence, Hyderabad Regional Unit, Hyderabad.

[F. No. 437/57/2014-Cus. IV]

R. P. SINGH, Director (Customs)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2014

सं. 63/2014-सीमाशुल्क (गै.टे.)

का.आ. 2020(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उप-धारा (1) और धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड मैसर्स गुप्ता प्रोडक्ट्स, आरजेड-5, खसरा सं. 74/1/28, राजधानी पार्क, रोहतक रोड, नांगलोई, दिल्ली-110041 और अन्य को अपर निदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, हैदराबाद जोनल यूनिट, हैदराबाद द्वारा फा. सं. VIII/26/39/2013/डीआरआई वीआईसी दिनांक 15 मई, 2014 के तहत जारी किए गए कारण बताओ नोटिस से संबंधित मामलों में न्याय निर्णयन के लिए—

(i) संयुक्त आयुक्त या अपर आयुक्त सीमाशुल्क, इन्लैण्ड कंटेनर डिपो, तुगलकाबाद;

(ii) संयुक्त आयुक्त या अपर आयुक्त सीमाशुल्क, कस्टम हाऊस मुंद्रा;

(iii) संयुक्त आयुक्त या अपर आयुक्त सीमाशुल्क, कस्टम हाऊस काण्डला,

को दी गई शक्तियों का प्रयोग करने और उनको सौंपे गये कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, एतद्वारा, संयुक्त आयुक्त या अपर आयुक्त सीमाशुल्क, इन्लैण्ड कंटेनर डिपो, तुगलकाबाद को एक न्याय निर्णयन प्राधिकारी के रूप में काम करने के लिए नियुक्त करता है।

[फा. सं. 437/69/2014-सीमा शुल्क IV]

आर. पी. सिंह, निदेशक (सीमा शुल्क)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th August, 2014

No. 63/2014-Customs (N.T.)

S.O. 2020(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 and sub-section (1) of section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Joint Commissioner or Additional Commissioner of Customs, Inland Container Depot, Tughlakabad to act as a Common Adjudicating Authority to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on-

(i) the Joint Commissioner or Additional Commissioner of Customs, Inland Container Depot, Tughlakabad;

(ii) the Joint Commissioner or Additional Commissioner of Customs, Custom House, Mundra;

(iii) the Joint Commissioner or Additional Commissioner of Customs, Custom House, Kandla,

for the purpose of adjudicating the matters relating to show cause notice pertaining to M/s Gupta Wood Products, RZ-5, Khasra No.74/1/28, Rajdhani Park, Rohtak Road, Nangloi, Delhi-110041 and others issued, *vide* F. No. VIII/26/39/2013-DRI VIC, dated the 15th May, 2014 by the Additional Director, Directorate of Revenue Intelligence, Hyderabad Regional Unit, Hyderabad.

[F. No. 437/69/2014-Cus. IV]

R. P. SINGH, Director (Customs)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2014

सं. 64/2014-सीमाशुल्क (गै.टे.)

का.आ. 2021(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उप-धारा (1) और धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड मैसर्स वीआईएसटीईओएन ऑटोमोटिव सिस्टम इंडिया प्राइवेट लि., गांव- कीलाकरनाई, पोस्ट- चेंगालपुट्टू, चेन्नई को अपर निदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, दिल्ली जोनल यूनिट, नई दिल्ली द्वारा फा.सं. 23/83/2013-डीजेडयू (प्रा. वीआईएसटीईओएन)/ 2988 से 2992, दिनांक 16 जून, 2014 के तहत जारी किए गए कारण बताओ नोटिस से संबंधित मामलों में न्याय निर्णयन के लिए—

(i) अपर आयुक्त सीमाशुल्क, (एयर पोर्ट एवं एयर कार्गो), इंटीग्रेटेड एयर एक्सपोर्ट काम्प्लेक्स, चेन्नई- 600027;

(ii) अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त सीमाशुल्क, (पत्तन-आयात), कस्टम हाऊस, 60 राजाजी सलाई, चेन्नई- 600001,

को दी गई शक्तियों का प्रयोग करने और उनको सौंपे गये कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, एतद्द्वारा, अपर आयुक्त सीमा-शुल्क, (एयर पोर्ट एवं एयर कार्गो), इंटीग्रेटेड एयर एक्सपोर्ट काम्प्लेक्स, चेन्नई को एक न्याय निर्णयन प्राधिकारी के रूप में काम करने के लिए नियुक्त करता है।

[फा. सं. 437/75/2014-सीमा-शुल्क IV]

आर. पी. सिंह, निदेशक (सीमा-शुल्क)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th August, 2014

No. 64/2014-Customs (N.T.)

S.O. 2021(E).— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 4 and Sub-section (1) of Section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Additional Commissioner of Customs (Airport and Air Cargo), Integrated Air Export Complex, Chennai to act as a Common Adjudicating Authority to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on-

(i) the Additional Commissioner of Customs, (Airport and Air Cargo), Integrated Air Export Complex, Chennai -600027;

(ii) the Additional Commissioner of Customs (Port-Imports), Custom House, 60, Rajaji Salai, Chennai-600001,

For the purpose of adjudicating the matters relating to show cause notice pertaining to M/s. Visteon Automotive Systems India Private Ltd., Keelakaranai Village, Malrosapuram Post, Chengalputtu, Chennai, issued *vide* F. No. 23/83/2013-DZU (Pt. Visteon)/2988 to 2992 dated 16-06-2014 by the Additional Director General, Directorate of Revenue Intelligence, Delhi Zonal Unit, New Delhi.

[F. No. 437/75/2014-Cus. IV]

R. P. SINGH, Director (Customs)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2014

सं. 65/2014-सीमा-शुल्क (गै.टे.)

का.आ. 2022(अ).— सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उप-धारा (1) और धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड श्री कृष्णा एक्सपोर्ट्स, सीसी 1180-ए, प्रथम तल, भारत डायमण्ड बोर्स, बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई-400051 को अपर निदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, अहमदाबाद जोनल यूनिट, अहमदाबाद, द्वारा फा.सं. डीआरआई/एजेडयू/ जीआई-2/ ईएनक्यू-10 (आईएनटी-5/13)/2014, दिनांक 20 जून, 2014 के तहत जारी किए गए कारण बताओ नोटिस से संबंधित मामलों में न्याय निर्णयन के लिए—

(i) अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त सीमा-शुल्क (आयात), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, सहर, अंधेरी, मुंबई;

(ii) अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त सीमा-शुल्क (निर्यात), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, सहर, अंधेरी, मुंबई,

को दी गई शक्तियों का प्रयोग करने और उनको सौंपे गये कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, एतद्वारा, अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त सीमाशुल्क (निर्यात), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, सहर, अंधेरी, मुंबई को एक न्याय निर्णयन प्राधिकारी के रूप में काम करने के लिए नियुक्त करता है।

[फा. सं. 437/77/2014-सीमा-शुल्क IV]

आर. पी. सिंह, निदेशक (सीमा-शुल्क)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th August, 2014

No. 65/2014-Customs (N.T.)

S.O. 2022(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 4 and Sub-section (1) of Section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Additional Commissioner or Joint Commissioner of Customs (Export), Air Cargo Complex, Sahar, Andheri, Mumbai to act as a common adjudicating authority to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on-

(i) the Additional Commissioner or Joint Commissioner of Customs (Import), Air Cargo Complex, Sahar, Andheri, Mumbai;

(ii) the Additional Commissioner or Joint Commissioner of Customs (Export), Air Cargo Complex, Sahar, Andheri, Mumbai,

for the purpose of adjudicating the matters relating to show cause notice pertaining to Shree Krishna Exports, CC 1180-A, 1st Floor, Bharat Diamond Bourse, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400051 *vide* F. No. DRI/AZU/GI-2/ENQ-10(INT-5/13)/2014, dated the 20th June, 2014 issued by the Additional Director, Directorate of Revenue Intelligence, Ahmedabad Zonal Unit, Ahmedabad-380007.

[F. No. 437/77/2014-Cus. IV]

R. P. SINGH, Director (Customs)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2014

सं. 66/2014-सीमा-शुल्क (गै.टे.)

का.आ. 2023(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उप-धारा (1) और धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड मैसर्स क्रेयोनकलर प्राइवेट लिमिटेड, कृष्णा काम्प्लेक्स, प्रथम तल, 5/6 लाटी प्लाट, मोर्बी गुजरात को अपर निदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, अहमदाबाद जोनल यूनिट, अहमदाबाद- 380007 द्वारा फा.सं. डीआरआई/एजेडयू/ जीआरयू-60/2013 (क्रेयोन कलर) दिनांक 01.07.2014 के तहत जारी किए गए कारण बताओ नोटिस से संबंधित मामलों में न्याय निर्णयन के लिए—

(i) अपर आयुक्त सीमा-शुल्क (आयात), जवाहर लाल नेहरू कस्टम हाऊस, न्हावा शेवा, पोस्ट- उड्डान, जिला- रायगढ़, महाराष्ट्र;

(ii) संयुक्त आयुक्त सीमा-शुल्क, कस्टम हाऊस, आल इंडिया रेडियो के पास नवरंगपुरा, अहमदाबाद

(iii) संयुक्त आयुक्त सीमा-शुल्क (आयात), मुंद्रा पोर्ट और विशेष आर्थिक जोन, कस्टम हाऊस, पोर्ट यूजर बिल्डिंग, मुंद्रा,

को दी गई शक्तियों का प्रयोग करने और उनको सौंपे गये कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, एतद्द्वारा, अपर आयुक्त सीमा-शुल्क (आयात), जवाहर लाल नेहरू कस्टम हाऊस, न्हावा शेवा, पोस्ट- उड़ान, जिला-रायगढ़, महाराष्ट्र को एक न्याय निर्णयन प्राधिकारी के रूप में काम करने के लिए नियुक्त करता है।

[फा. सं. 437/83/2014-सीमा-शुल्क IV]

आर. पी. सिंह, निदेशक (सीमा-शुल्क)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th August, 2014

No. 66/2014-Customs (N.T.)

S.O. 2023(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 4 and Sub-section (1) of Section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Additional Commissioner of Customs (Import), Jawaharlal Nehru Custom House, Nahava Sheva, Post- Uran, District: Raigad, Maharashtra to act as a common adjudicating authority to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on-

(i) the Additional Commissioner of Customs (Import), Jawaharlal Nehru Custom House, Nahava Sheva, Post- Uran, District: Raigad, Maharashtra;

(ii) the Joint Commissioner of Customs, Custom House, Near All India Radio Navrangpura, Ahmedabad;

(iii) the Joint Commissioner of Customs (Import), Mundra Port and Special Economic Zone, Custom House, Port User Building, Mundra,

for the purpose of adjudicating the matters relating to show cause notice pertaining to M/s Crayon Color Private Limited, Krishna Complex, First Floor, 5/6 Lati Plot, Morbi, Gujarat *vide* F. No. DRI/AZU/GRU-60/2013(Crayon Color) dated the 01.07.2014 issued by the Additional Director, Directorate of Revenue Intelligence, Ahmedabad Zonal Unit, Ahmedabad 380007.

[F. No. 437/83/2014-Cus IV]

R. P. SINGH, Director (Customs)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2014

सं. 67/2014-सीमा-शुल्क (गै.टे.)

का.आ. 2024(अ).— सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उप-धारा (1) और धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड मैसर्स सीनर्जी फर्टीकेम प्राइवेट लिमिटेड, सीनर्जी हाऊस में अवस्थित, गोर्वा सुभानपुरा रोड, वड़ोदरा, गुजरात को अपर निदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, जोनल यूनिट, अहमदाबाद-380007 द्वारा फा.सं. डीआरआई/एजेडयू/जीआरयू-60/2013 (सीनर्जी), दिनांक 02 जुलाई, 2014 के तहत जारी किए गए कारण बताओ नोटिस से संबंधित मामलों में न्याय निर्णयन के लिए

(i) अपर आयुक्त सीमा-शुल्क (आयात), जवाहरलाल नेहरू कस्टम्स हाऊस, न्हावा शेवा, पोस्ट- उड़ान, जिला-रायगढ़, महाराष्ट्र;

(ii) अपर आयुक्त, सीमा-शुल्क, (आयात), एयर कार्गो काम्प्लेक्स, सहार, मुंबई;

(iii) सहायक आयुक्त सीमा-शुल्क, मुंद्रा पोर्ट और विशेष आर्थिक क्षेत्र, पोर्ट यूजर बिल्डिंग, मुंद्रा,

को दी गई शक्तियों का प्रयोग करने और उनको सौंपे गये कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, एतद्वारा, अपर आयुक्त सीमा-शुल्क (आयात), जवाहरलाल नेहरू कस्टम्स हाऊस, न्हावा शेवा, पोस्ट- उड़ान, जिला-रायगढ़, महाराष्ट्र को एक न्याय निर्णयन प्राधिकारी के रूप में काम करने के लिए नियुक्त करता है।

[फा. सं. 437/84/2014-सीमा-शुल्क IV]

आर. पी. सिंह, निदेशक (सीमा-शुल्क)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th August, 2014

No. 67/2014-Customs (N.T.)

S.O. 2024(E).— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 4 and Sub-section (1) of Section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Additional Commissioner of Customs (Import), Jawaharlal Nehru Custom House, Nahava Sheva, Post- Uran, District- Raigad, Maharashtra to act as a common adjudicating authority to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on-

(i) the Additional Commissioner of Customs (Import), Jawaharlal Nehru Custom House, Nahava Sheva, Post- Uran, District- Raigad, Maharashtra;

(ii) the Additional Commissioner of Customs (Imports), Air Cargo Complex, Sahar, Mumbai;

(iii) the Assistant Commissioner of Customs, Mundra Port and Special Economic Zone, Custom House, Port User Building, Mundra, for the purpose of adjudicating the matters relating to show cause notice pertaining to M/s. Synergy Fertichem Private Limited, situated at Synergy House, Gorwa Subhanpura Road, Vododara, Gujarat issued, *vide* F. No. DRI/AZU/GRU-60/2013(Synergy) dated the 2nd July, 2014 by the Additional Director, Directorate of Revenue Intelligence, Zonal Unit, Ahmedabad-380007.

[F. No. 437/84/2014-Cus IV]

R. P. SINGH, Director (Customs)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2014

सं. 68/2014-सीमा-शुल्क (गै.टे.)

का.आ. 2025(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उप-धारा (1) और धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड मैसर्स जय जालाराम सा मिल, जशोदानगर हाइवे क्रासरोड, पोस्ट- वाटवा जीआईडीसी, वाटवा, अहमदाबाद- 382445 एवं अन्य को उप निदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, जोनल यूनिट, हैदराबाद, द्वारा फा.सं. डीआरआई/सीजेडयू/वीआईसी/26/ईएनक्यू-04

(आईएनटी-शून्य)/2014, दिनांक 09 जून, 2014 के तहत जारी किए गए कारण बताओ नोटिस से संबंधित मामलों में न्याय निर्णयन के लिए

(i) सहायक आयुक्त या उप आयुक्त सीमा-शुल्क, कस्टम्स हाऊस, मुंद्रा; और

(ii) सहायक आयुक्त या उप आयुक्त सीमा-शुल्क, कस्टम्स हाऊस, काण्डला,

को दी गई शक्तियों का प्रयोग करने और उनको सौंपे गये कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, एतद्वारा, सहायक आयुक्त या उप-आयुक्त सीमाशुल्क, कस्टम्स हाऊस, मुंद्रा को एक न्याय निर्णयन प्राधिकारी के रूप में काम करने के लिए नियुक्त करता है।

[फा. सं. 437/86/2014-सीमा-शुल्क IV]

आर. पी. सिंह, निदेशक (सीमा-शुल्क)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th August, 2014

No. 68/2014-Customs (N.T.)

S.O. 2025(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 and sub-section (1) of section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Customs, Custom House, Mundra to act as a Common Adjudicating Authority to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on-

(i) the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Customs, Custom House, Mundra; and

(ii) the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Customs, Custom House, Kandla,

for the purpose of adjudicating the matters relating to show cause notice pertaining to M/s Jay Jalaram Saw Mill, Jasodanagar Highway Crossroad, PO-Vatva GIDC, Vatva, Ahmedabad-382445 and others issued, *vide* F. No. DRI/CZU/VIC/26/ENQ-04 (INT-nil)/2014 dated the 09th June, 2014 by the Deputy Director, Directorate of Revenue Intelligence, Regional Unit, Hyderabad.

[F. No. 437/86/2014-Cus. IV]

R. P. SINGH, Director (Customs)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2014

सं. 69/2014-सीमा-शुल्क (गै.टे.)

का.आ. 2026(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उप-धारा (1) और धारा 5की उप-धारा (1) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड मैसर्स लियो टिंबर (प्रा.) लि., खसरा सं. 50/16, असम टिंबर मार्केट, नांगलोई, दिल्ली-110041 एवं अन्य को उप-निदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, रीजनल यूनिट, हैदराबाद द्वारा फा.सं. VIII/26/35/2013-डीआरआई वीआईसी, दिनांक 13 जून, 2014 के तहत जारी किए गए कारण बताओ नोटिस से संबंधित मामलों में न्याय निर्णयन के लिए—

(i) सहायक आयुक्त या उप-आयुक्त सीमा-शुल्क, कस्टम्स हाऊस, काण्डला;

(ii) सहायक आयुक्त या उप-आयुक्त सीमा-शुल्क, कस्टम्स हाऊस, मुंद्रा;

(iii) सहायक आयुक्त या उप-आयुक्त सीमा-शुल्क, इन्लैण्ड कंटेनर डिपो, तुगलकाबाद,

को दी गई शक्तियों का प्रयोग करने और उनको सौंपे गये कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, एतद्द्वारा, सहायक आयुक्त या उप-आयुक्त सीमा-शुल्क, इन्लैण्ड कंटेनर डिपो, तुगलकाबाद को एक न्याय निर्णयन प्राधिकारी के रूप में काम करने के लिए नियुक्त करता है।

[फा. सं. 437/87/2014-सीमा-शुल्क IV]

आर. पी. सिंह, निदेशक (सीमा-शुल्क)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th August, 2014

No. 69/2014-Customs (N.T.)

S.O. 2026(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 and sub-section (1) of section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Customs, Inland Container Depot, Tughlakabad to act as a Common Adjudicating Authority to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on—

(i) the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Customs, Custom House, Kandla;

(ii) the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Customs, Custom House, Mundra;

(iii) the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Customs, Inland Container Depot, Tughlakabad,

for the purpose of adjudicating the matters relating to show cause notice pertaining to M/s Leo Timber (P) Ltd., Khasra No. 50/16, Assam Timber Market, Nangloi, Delhi-110041 and others issued, *vide* F. No. VIII/26/35/2013-DRI VIC, dated the 13th June, 2014 by the Deputy Director, Directorate of Revenue Intelligence, Regional Unit, Hyderabad.

[F. No. 437/87/2014-Cus. IV]

R. P. SINGH, Director (Customs)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.